



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
 18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
 Tel.: 011-2695168, 8860748880
 Email- mpquota@kvs.gov.in
 Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (RS)

दिनांक- 21.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद Dr. Banda Prakash के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 863 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	POLKAM SRI NISHANTH	P. PRADEEP KUMAR, MOB- 8309462496	1	NO. 1 UPPAL HYDERABAD
2	MUPPA SAMANVITHA	M. SHIVA SAGAR, MOB- 9949182939	1	WARANGAL
3	BUYAKAR RISHIK	B. SAJAL LAL, MOB- 9441561961	1	NO. 1 UPPAL HYDERABAD
4	AASHRITH SAMALA	PRITHI PULIPATI, MOB- 9494494300	1	NO. 1 UPPAL HYDERABAD
5	ALAVENI SREE TEJ	SRISAILAM, MOB- 9848740916	1	GACHIBOWLI, HYDERABAD
6	PANDUGA SHOBITH	PANDUGA BALU, MOB- 9581111250	1	THIRUMALAGIRI
7	AASHRITH BAIRI	BAIRI RAJU, MOB- 9849163471	1	SIDDIPET
8	SAMUDRALA SANJANA	S. SATHISH, MOB- 9989488068	1	NO. 2 GOLCONDA
9	BADDULA SRI VARSHITHA	YADAGIRI YADAV, MOB- 9000002284	2	DRDO TOWNSHIPS, KANCHABAGH
10	BOIRA AARAV HRISHIK	B. SUDHAKER, MOB- 9885603048	3	GACHIBOWLI, HYDERABAD

प्रिती ठाकुर

कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

प्रिया ठाकुर
22/8/20
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Dr. Banda Prakash माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, HYDERABAD संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)